तत्काल

संख्या-153/1098/84-1-13-सां0-01/2011

प्रेषक

धर्म चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 27 दिसम्बर 2013

विषय- प्रयोगशाला परिचर को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से पृथक किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-388/निविमावि-अधि-2(प्र0प्र0)/13 दिनॉक 23 अक्टूबर 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक एवं विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रयोगशाला परिचर की सेवा शर्ते एवं शैक्षिक योग्यताओं में कोई समानता न होने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में आपके पत्र दिनॉक 12 फरवरी 2013 द्वारा भविष्य में विधिक माप विज्ञान के प्रयोगशाला परिचरों की सेवा शर्तो को विनियमित करने के उद्देश्य से विभाग की प्रयोगशाला परिचरों के पदों सेवा नियमावली उपलब्ध करायी गयी थी। जिसमें प्रयोगशाला परिचर की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित किये जाने का उल्लेख करते हुए समूह ग वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1900/-लागू किये जाने का उल्लेख किया गया है जब कि प्रयोगशाला परिचर का पद समूह घ का पद है और इसका वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1800/- निर्धारित है। किन्तु इनकी कार्य की आवश्यकता या उसके उच्चीकरण आदि के संबंध में कोई टिप्पणी/औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है एवं प्रस्तावित सेवानियमावली में प्रयोगशाला परिचर के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अत: अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में औचित्य स्पष्ट करते हुए सुविचारित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in